(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/347 दिनांक : 9/6/17

कार्यालय आदेश

M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205 की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01.01.2016, के तहत औषधि Ibuprofen Oral Suspension BP 100mg/5ml [477] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1192 दिनांक 11/02/2016 एवं 1612 दिनांक 12/02/2016 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशो की पालना में निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाई की गयी औषधि Ibuprofen Oral Suspension BP 100mg/5ml [477] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 06 बैचो को Microbial Examination Test में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 05 बैचों की Microbial Examination Test में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस तरह निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्त की गई है। इस संबंध मे निर्माता कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करके दिनांक 15/02/2017 को निगम की अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर दिया गया। फर्म के प्रतिनिधि का तर्क था कि Microbial Examination Test के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं है। फर्म की आपत्ति के सम्बन्ध में औषधि नियंत्रक की राय के अनुसार यह औषधि Indian Pharmacopoeia में है तथा इसके प्रोटोकॉल निर्धारित हैं। प्रकरण को दिनांक 17/04/2017 को अनुशासन समिति के समक्ष रखा गया। अनुशासन समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्त की गई है जो कि औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित है।

निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तों के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 29/05/2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनवाई के लिये पुनः अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के क्लॉज 4.5(2) के तहत निगम की अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205 की औषधि Ibuprofen Oral Suspension BP 100mg/5ml [477] को यह आदेश जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी. 7/6/17

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/347 दिनांक : 9/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3 मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4 निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6 औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
8 निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9 विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एण्ड ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11 समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12 समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/विहार/छत्तीसगढ/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13 M/s Saar Biotech, NH-21A, Bhud, Baddi, Distt. Solan (H.P.)-173205
14 आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.